

केंद्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग, Baba Gangnath Marg,
मुनिरका/ Munirka, नई दिल्ली/ New Delhi - 110067

File No. 2024/CIC/ Admn/ RTI

Dated: 10/05/2024

To:

श्री विपिन कुमार

304 IN

विषय: [REDACTED] तहत पंजीकृत आरटीआई आवेदन।

प्रिय आवेदक,

आपके द्वारा आरटीआई आवेदन के माध्यम से आपके द्वारा मांगी गई जानकारी नीचे दी गयी है:

Point No.	Information provided
1	आउटसोर्स मैनेपावर एजेंसी के साथ वर्तमान अनुबंध के अनुसार, गजेन्द्र सिंह कटारिया 01/08/2023 से काम कर रहे हैं।
2 to 5	ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
6	GeM अनुबंध के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारी प्रति वर्ष 08 आकस्मिक छुट्टियाँ ले सकते हैं।
7 to 12	ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
13	भारत सरकार की प्रासंगिक नीतियों का पालन किया जाता है।
14 & 15	ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
16	आउटसोर्स मैनेपावर एजेंसी के साथ वर्तमान अनुबंध के अनुसार, गजेन्द्र सिंह कटारिया 01/08/2023 से काम कर रहे हैं।
17	ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
18	आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) के अनुसार जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती।
19 & 20	ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
21	आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(e) के अनुसार जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती।
22 to 33	ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
34	इस संबंध में प्रासंगिक आदेश संलग्न है।
35 to 41	ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं और दी गई जानकारी के संबंध में अपील करना चाहते हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर नीचे दिए गए अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकते हैं:

श्रीमती रूप अवतार कौर
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पता: केंद्रीय सूचना आयोग,
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली।
फ़ोन नंबर :011-26162290



आपका भवदीय

[Handwritten Signature]

(वी.बी. हरिहरन)

सलाहकार (प्रशासन) एवं सीपीआईओ

काँपी:

/7654/2023

केन्द्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबागंगनाथमार्ग / Baba Gangnath Marg
मुनिरका/ Munirka, नईदिल्ली/110067-New Delhi 110067

Date: 15.09.2023

Circular

It has been observed that some of the outsourced staff are attending the court hearings related to Commission without prior permission/approved leave. The matter has been viewed seriously by the Higher Authorities.

2. The Sectional heads are requested to ensure that outsourced staff should invariably seek prior permission and approval of leave before attending hearings in the Delhi High Court/CAT/Labour Court.

3. Compliance of above instructions be ensured please.

4. This issues with the approval of Competent Authority.

Rabbani
(S.K. Rabbani)
Deputy Secretary (Admn)

Copy to :-

1. Sr. PPS to CIC
2. PPS to ICs
3. PPS to Secretary
4. PPS to Additional Secretary
5. PPS to JS (Admn)/PSs to JS (MR)/JS (P&B)/JS(Law)/Consultant(Registrar)
6. All Deputy Secretaries
7. Consultant (DRs) /Designated officers.
8. DDO(Cash Section)/RTI Cell/CR-I & CR-II/ Dak Section/ Library/ Record Room/ Legal Cell
9. Outsourced Staff in the Commission
10. Concerned task holder
11. M/s MJG International Pvt. Limited to ensure compliance of these instructions.
12. Guard File